

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सत्य नारायण-1 (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 284 / 2025
दायर दिनांक :- 17.09.2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025 / 523
निर्णय दिनांक :- 10.03.2026

1. अशोक पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी जम्भसागर तहसील फलोदी जिला फलोदी
2. गोमदराम पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी जम्भसागर तहसील फलोदी जिला फलोदी
3. दुर्गाराम पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी जम्भसागर तहसील फलोदी जिला फलोदी
4. रूपाराम पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी जम्भसागर तहसील फलोदी जिला फलोदी

प्रार्थीगण:-

बनाम

1. जीवणराम पुत्र लुम्बाराम जाति विश्‍नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. मांगीलाल पुत्र जीवणराम जाति विश्‍नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. राजकुमार पुत्र जीवणराम जाति विश्‍नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. रामनिवास पुत्र जीवणराम जाति विश्‍नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
5. नवरंगलाल पुत्र बाबूराम जाति विश्‍नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
6. बाबूराम पुत्र कालूराम जाति विश्‍नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
7. श्रवणकुमार पुत्र बाबूराम जाति विश्‍नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
8. फरसाराम पुत्र बंशीलाल जाति विश्‍नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
9. बंशीलाल पुत्र जेताराम जाति विश्‍नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
10. रामस्वरूप पुत्र बंशीलाल जाति विश्‍नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
11. कमला पत्नी रामलाल जाति विश्‍नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
12. रामलाल पुत्र सागलराम जाति विश्‍नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
13. राजाराम पुत्र भाखरराम जाति विश्‍नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
14. बिदामी पत्नी भंवरलाल जाति विश्‍नोई निवासी कौशलनगर तहसील बाप जिला फलोदी
15. भंवरलाल पुत्र सालगराम जाति विश्‍नोई निवासी कौशलनगर तहसील बाप जिला फलोदी
16. श्रवणकुमार पुत्र भंवरलाल जाति विश्‍नोई निवासी कौशलनगर तहसील बाप जिला फलोदी
17. गणपतराम पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी कलराबाबेश तहसील बाप जिला फलोदी
18. जीवणराम पुत्र भेराराम जाति मेघवाल निवासी मिठड़िया तहसील बाप जिला फलोदी
19. टीकूराम पुत्र मगनाराम जाति मेघवाल निवासी कौशलनगर तहसील बाप जिला फलोदी
20. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

अप्रार्थीगण:-

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :-1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

Saty
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)



--:: निर्णय ::--

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 82/1 रकबा 7.1791 हैक्टेयर सरहद मौजा कौशलनगर पटवार क्षेत्र जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू-नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 23.06.2025 को जारी आदेश कम संख्या 2025/49478/11 की पालना में दिनांक 23.06.2025 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीगण तथा पड़ौसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 23.06.2025 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 19 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थीगण को तारबन्दी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की बाड़, तारबन्दी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबन्दी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 23.06.2025 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगोदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 20 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि ग्राम कौशलनगर पटवार हल्का जाम्बा तहसील बाप के खसरा नम्बर 82/1 रकबा 7.1791 हैक्टेयर भूमि का मौका कमिश्नर नियुक्त कर नेखमबदी आदेश जारी किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 19 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम कौशलनगर पटवार हल्का जाम्बा तहसील बाप के खसरा नम्बर 82/1 रकबा 7.1791 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबन्दी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 23.06.2025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम कौशलनगर पटवार हल्का

Sakle
उप खण्ड अधिकारी
(फलोदी)

जाम्बा तहसील बाप के खसरा नम्बर 82/1 रकबा 7.1791 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्ड्ड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 23.06.2025 के अनुसार करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम शेरानीनगर पटवार हल्का जाम्बा तहसील बाप के खसरा नम्बर 82/1 रकबा 7.1791 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 23.06.2025 के अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करे। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। मौका कमिश्नर शुल्क 1000/- प्रार्थीगण द्वारा अदा किया जायेगा। पत्रावली फौसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Saty
 (सत्य नारायण)
 जिलाधिकारी एवं सहायक कलेक्टर एवं
 खास पंड अधिकारी
 बाप (फलोदी)